



भाकृअनुप- भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान
ICAR - Indian Institute of Soil and Water Conservation
 (Deptt. Agril. Res. & Edu., Min. of Agri. & Farmers Welfare, Govt. of India)
 Research Centre, Sector 27A, Madhya Marg, Chandigarh – 160019



पत्रांक 7(10)/2018-19/भण्डार/चंडी/

दिनांक: 07.02.2025

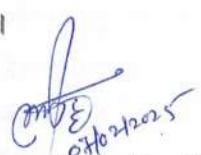
नीलामी सूचना/ Auction Notice

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भाकृअनुप-भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, अनुसंधान फार्म निकट मनसा देवी, सेक्टर-4, पंचकुला पर लगभग 80 से 85 कुंतल सूखी जलाऊ लकड़ी की नीलामी खुली बोली के माध्यम से दिनांक 03.03.2025 को सुबह 11:00 बजे की जाएगी। इच्छुक बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे बोली लगाने से पहले किसी भी समय लकड़ी को देख सकते हैं। \ It is hereby informed to the general public that an open bidding auction will be held for approximately 80 to 85 quintals of dry firewood at ICAR-Indian Institute of Soil and Water Conservation, Research Farm, near Mansa Devi, Sector-4, Panchkula, on 03.03.2025 at 11:00 AM. Interested bidders are requested to inspect the firewood at any time before participating their bids.

नियम व शर्तें

1. संस्थान के अनुसंधान प्रक्षेत्र मनसा देवी पंचकुला पर गठित समिति द्वारा उपरोक्त खुली बोली के माध्यम से नीलामी पूर्ण की जाएगी।
2. इच्छुक बोलीदाता को उक्त नीलामी में भाग लेने हेतु नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व प्रातः 10:00 बजे से 11:00 बजे तक अपना पंजीकरण कराना होगा। जिन व्यक्तियों ने नीलामी हेतु पंजीकरण करवा लिया है वे ही बोली में भाग ले सकते हैं अन्य व्यक्तियों का नीलामी कक्ष में बैठना निषेध होगा। इसके अतिरिक्त एक बार नीलामी कक्ष में प्रवेश करने पर नीलामी प्रक्रिया पूर्ण होने तक वे बाहर नहीं जा सकेंगे।
3. बोलीदाता की पंजीयन राशि ₹. 2,000/- पंजीयन से पूर्व नगद/ डी.डी./बैंकर्स चेक/Pos machine/SBI Collect के माध्यम से जो कि Head, CS&WCRTI, RC, Chandigarh के पक्ष में देय हो जमा करानी होगी।
4. बोलीदाता को अपना बैंक खाता संख्या, आई.एफ.एस.सी कोड, बैंक का नाम, अपना पैन नं. तथा आधार नम्बर की प्रति संस्थान कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी।
5. लकड़ी जहाँ है, जैसे है, ठेकेदार को उस स्थान से उसी स्थिति में उठानी होगी।
6. सफल/उच्चतम बोलीदाता को बोली की पूरी राशि 24 घंटे के भीतर जमा करानी होगी। ऐसा नहीं किए जाने पर नीलामी की पंजीयन/धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी जिसके लिए बोलीदाता स्वयं जिम्मेवार होगा। संस्थान के केन्द्राध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त होगा कि उक्त नीलामी को रद्द करते हुए दूसरे नंबर के अधिकतम बोली दाता के पक्ष में नीलामी स्वीकृत कर सकते हैं।
7. नीलामी की आवश्यक कार्यवाही पूर्ण होने पर सफल बोलीदाता को छोड़ कर अन्य सभी बोलीदाओं द्वारा जमा कराई गई पंजीयन राशि उन्हें वापिस कर दी जाएगी।

8. सफल बोलीदाता द्वारा लगाए गए कर्मचारियों के पहचान पत्र संस्थान को उपलब्ध कराने होंगे तथा यदि ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा संस्थान की किसी भी सम्पत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाया जाता है, तब ऐसी स्थिति में नुकसान की पूरी भरपाई ठेकेदार से वसूल की जाएगी।
9. प्राकृतिक आपदा से हुआ नुकसान के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
10. लकड़ी को कार्यालय से बाहर ले जाने का समय सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक होगा।
11. नीलाम की गई लकड़ी के अतिरिक्त संस्थान के किसी भी प्रकार के सामान को कार्यालय से बाहर ले जाना व सरकारी सम्पत्ति की क्षति पूर्ण रूप से निषेध होगा। यदि ऐसा पाया गया तो वह सरकारी सम्पत्ति की चोरी मानी जाएगी जिसके लिए संस्थान ठेकेदार के विरुद्ध कानूनी कार्यावाही किए जाने के लिए स्वतंत्र होगा तथा ऐसी स्थिति में केन्द्राध्यक्ष को यह भी शक्ति प्राप्त होगी कि वह तुरन्त प्रभाव से ठेकेदार का नीलामी ठेका रद्द करते हुए ठेके के अन्तर्गत जमा कराई सम्पूर्ण राशि को जब्त कर लिया जाए जिसके लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा।
12. ठेकेदार को नीलामी की सभी नियम व शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा। ठेके के नियम एवं शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर ठेका निरस्त कर दिया जाएगा तथा इस ठेके के सन्दर्भ में जमा कराई गई पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी।
13. इस नीलामी को स्वीकृत करने/रद्द करने के पूर्ण अधिकार केन्द्राध्यक्ष के पास सुरक्षित होंगे।
14. नीलामी ठेके के सन्दर्भ में यदि ठेकेदार एवं संस्थान के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में उस विवाद का निवारण आपसी बातचीत द्वारा पूर्ण किया जाएगा अगर आपसी बातचीत से उसका निवारण नहीं होता है तब ऐसी स्थिति में विवाद को संस्थान के निदेशक, मुख्यालय देहरादून को विवाद के निवारण हेतु प्रस्ताव भेजा जाएगा तथा संस्थान के निदेशक महोदय का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
15. ठेके से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया के लिए चण्डीगढ़ न्यायालय ही मान्य होगा।


सहायक प्रशासनिक अधिकारी